**UPSI180005192014**
**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद सीतापुर।**
**पीठासीन अधिकारी– रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP3474**
**इजराय वाद संख्या –01/2014**

आशा महेश्वरी ———————————————(डिक्रीदार)

**बनाम**

रानी सुनीता शाह———————————————(निर्णीत ऋणी)

**(निस्तारण इजराय वाद)**

**दिनांकः–05.08.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। निर्णीत ऋणी अनुपस्थित। न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2025 द्वारा निर्णीत ऋणी के विरूद्ध इजराय वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गई थी। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। पूर्व नियत दिनांक पर डिक्रीदार अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

डिक्रीदार ने अपने प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 3 क में यह कथन किया है कि "मूल वाद सं० 74/1994 श्रीमती आशा माहेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह आदि, न्यायालय मुंसिफ महमूदाबाद, सीतापुर, डिकीदार के पक्ष में डिकी हुआ था तथा मूल वाद सं0 74/1994 श्रीमती आशा माहेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह आदि में न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि 'वादिनी का वाद बाबत गाटा सं0 635, 636, 669 आज्ञप्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस गाटा नम्बर पर किसी प्रकार का अवरोध व असंवैधानिक हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है। सर्वे कमीशन आख्या 19 ग–2 एवं नक्शा 20 ग–2 डिकी का अंश रहेगा। उभय पक्षकार अपना–अपना वाद–व्यय स्वंय वहन करेगें।' डिकीदार ने कथन किया है कि उपरोक्त आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील दाखिल नहीं की गयी है तथा उपरोक्त वाद में पारित आदेश अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है और निष्पादन की कार्यवाही के लिए कोई भी स्थगनादेश किसी न्यायालय से नहीं है। मदयूनान डिकीदार के कब्जे में अवरोध उत्पन्न करने हेतु छलपूर्वक श्रीमती गीता सिंह नाम की महिला से अवैध ढंग से वादग्रस्त सम्पत्ति को लीज डीड करके गीता सिंह को वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा करने के

Digitally signed by Rohit Puri
Date: 2026.08.05 16:33:51 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D.)/J.M.
Mahumudabad, Sitapur

लिए प्रेरित करते हैं। गीता सिंह मदयूनान की शह पर तथा लीज डीड दि० 11.12.2008 के आधार पर गाटा सं0 635, 630 में दखल करती हैं एवं डिकीदार को उसकी भूमि पर जाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। मूल वाद में निर्णय के उपरान्त मदयूनान को यह अधिकार नहीं था कि वे न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त सम्पत्ति परकीदार के स्वामित्व व कब्जे में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करें। अब जानबूझकर मदयूनान द्वारा गीता सिंह के माध्यम से डिकीदार के कब्जे में अवरोध उत्पन्न किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित डिकी में जो आदेश है, वह मदयूनान के अतिरिक्त उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जो मदयूनान के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं और मदयूनान के माध्यम से कोई भी कार्यवाही करते हैं। गीता सिंह आदि डिकीदार अथवा डिकीदार के आदमियों को मौके पर जाने नहीं देते हैं। यह सभी कार्यवाही न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–16.11.1995 के बाद की गयी है। मदयूनान ने गीता सिंह से लीज डीड दिनांक 11.12.2008 को की है और उसी के आधार पुर डिकीदार के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में मदयूनान न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए डिकीदार के कब्जे में निरन्तर हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार डिकीदार ने यह अनुतोष चाहा है कि इन परिस्थितियों में न्यायालय मौके पर अमीन से उचित कार्यवाही करने का आदेश पारित करते हुए मूल वाद सं0 74/1994 में दी गयी चौहद्दी के अनुसार डिकीदार के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने पाये, को सुनिश्चित किया जाए तथा मौके पर मदयूनान या उनके किसी एजेन्ट अथवा व्यक्ति के द्वारा किये गये समस्त अवरोध को हटाते हुए मौके पर डिकीदार के कब्जे को न्यायालय के आदेश के अनुसार सुनिश्चित कराने की कृपा करें तथा हस्तक्षेप करने वाले को सिविल कारागार में निरूद्ध करने की कार्यवाही की जाए।

डिकीदार ने सूची 5ग–1 से मूल वाद सं0 74/1994 में पारित निर्णय की प्रति 5ग–1/2, मा० उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति 6ग–1, सर्वे कमीशन आख्या 19ग–2 एवं मानचित्र 20ग–2 की प्रमाणित प्रतिलिपि 5ग–1/8 लगायत 5ग–1/10 दाखिल की है एवं मूल वाद सं0 74/1994 में पारित डिकी की प्रति 5ग–1/11 लगायत 5ग–1/13 भी दाखिल की है तथा सूची 51ग–1 से मूल वाद सं0 74/1994 श्रीमती आशा माहेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह आदि के वाद–पत्र की प्रति 52ग–1 एवं जवाबदावा 53ग–1 तथा सूची 48ग–1 से मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.02.2015 की नकल 49ग–1/2, सूची 27ग–1 से इन्तखाब खतौनी, खसरा एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र इत्यादि कागज सं० 28ग/1 लगायत 28ग/5 एवं 29ग–1 से 35ग–1, शपथ–पत्र 36ग–1, वाद सं० 339/11 के फैसला दि० 18.12.2013 की सत्यापित प्रति 13ग–1, दी० वाद सं० 605/2006 में दाखिल लिखित उत्तर की प्रति 12ग–1, दी० वाद सं०

605/2006 के वाद पत्र की सत्यापित प्रति 11ग–1. श्रीमती गीता सिंह के हक में निष्पादित पट्टा दि० 11.12.2008 की प्रमाणित प्रति 15ग–1, वाद सं0 605/2006 में आदेश दि० 20.10.2010 की सत्यापित प्रति 94ग–1, दस्तावेज सूची कागज सं०–16ग के माध्यम से एक किता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.12.2024 की नकल कागज सं०–17ग1, दस्तावेज सूची कागज सं०–22ग के माध्यम से न्यायालय सिविल जज जू०डि०, महमूदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.11.2012 की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि, न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट सं०–7 द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 31.05.2016 की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि, न्यायालय श्रीमान लघुवाद न्यायाधीश/सिविल जज सी०डि०, सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.02.2011 की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि, न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी०डि० द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.12.2013 की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की है तथा दस्तावेज सूची दिनांकित 29.07.2026 के माध्यम से एक किता न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट सं०–7, सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.05.2016 की नकल दाखिल की गई है।

इजराय प्रार्थना पत्र के विरूद्ध निर्णीत ऋणी रानी सुनीता शाह द्वारा आपत्ति 91ग प्रस्तत करते हुए यह कथन किया गया कि मूल वाद सं0 74/1994 में पारित आदेश दि० 16.11.1995 के विरूद्ध निर्णीत ऋणी द्वारा अपील माननीय जिला जज सीतापुर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो माननीय अपर जिला जज सीतापुर के न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित सम्पत्ति पर आपत्तिकर्तागण का कब्जा बराबर चला आ रहा है तथा डिकीदार का कभी कब्जा विवादित भूमि पर नहीं रहा है। आपत्तिकर्ता द्वारा विवादित सम्पत्ति को दिनांक 11.12.1985 को क्षेत्रीय वन अधिकारी सिधौली जिला सीतापुर को दिनांक 10.12.1995 तक पट्टे पर वृक्षारोपण हेतु दिया था, जिसकी समय–सीमा पूर्ण हो जाने के बाद वन विभाग ने आपत्तिकर्तागण को कब्जा वापस दे दिया था, इससे भी यह साबित कि डिकीदार का कभी भी कब्जा विवादित सम्पत्ति पर नहीं रहा। इसी वाद भूमि के सम्बन्ध में डिकीदार के पति के विरूद्ध धारा 420 भा० द० सं० का दाण्डिक वाद थाना अटरिया में पंजीकृत है। डिकीदार द्वारा इस इजराय के पूर्व दिनांक 08.09.1998, 24.12.2010 एवं 25.07.2012 में प्रस्तुत इजराय वाद कमशः 19.10.2000 एवं दिनांक 22.02.2012 को अदम पैरवी व दिनांक 17.11.2012 को अंतिम रूप से निस्तारित किये जा चुके हैं। इजराय वाद में आपत्तिकर्ता द्वारा डिकीदार को किस तिथि को विवादित भूमि से बेदखल किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है। अंतिम रूप से निर्णीत इजराय वाद दिनांक 17.11.2012 से स्पष्ट है कि डिकीदार का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इजराय वाद में मात्र मूल वाद में पारित

आदेश का अनुपालन करवाया जा सकता है तथा प्रस्तुत मूल दीवानी वाद में आपत्तिकर्तागण को किसी भी प्रकार से बेदखल करने एवं डिकीदार को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण इजराय वाद चलने योग्य नहीं है। अतः इजराय वाद निरस्त किया जावे।

निर्णीतऋणी श्रीमती सुनीता शाह ने सूची 60ग–1 से एककिता आकार पत्र, खतौनी, हिबानामा, जोत चकबन्दी आकार पत्र 45, दी० वाद सं0 605/2006 के आदेश दिनांक 25.11.2010 की सत्यापित प्रति, दी० वाद सं० 522/2006 के आदेश दिनांक 15.03.2011 की सत्यापित प्रति, दी० वाद सं० 522/2006 के वाद–पत्र की सत्यापित प्रति, दी० निगरानी सं० 112/2012 द्वारा पारित श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्णय की सत्यापित प्रति, मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व प्रकीर्ण वाद सं0 432/2011 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 6. सीतापुर से प्राप्त सूचना की प्रति इत्यादित 60ग–2 लगायत 60ग–1/46 दाखिल की है। इसी प्रकार सूची 74ग–1 से एककिता प्रश्नोत्तर वाद सं० 432/2011 का0 सं0 75ग–1 व वाद सं० 605/2006 के बाद–पत्र की प्रति 76ग–1 दाखिल की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली इस न्यायालय की इजराय वाद से संबंधित प्राचीनतम पत्रावली है। **उक्त पत्रावली की शीघ्र निस्तारण हेतु (अंदर छः माह) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा Case :– MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. – 18306 of 2016, बउनवान श्रीमती आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह आदि में पारित आदेश दिनांकित 12.12.2024, में दिशा निर्देश पारित किये गये है।** उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.10.2015 द्वारा डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रार्थना–पत्र 3क स्वीकार किया गया था तथा आदेश पारित किया गया था कि *"निर्णीत–ऋणीगण व तृतीय पक्ष गीता सिंह को अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 (5) सिविल प्रक्रिया संहिता यह आदेशित किया जाता है कि विवादित प्रश्नगत गाटा संख्या 635, 636, 669 स्थित ग्राम नीलगांव परगना मनवां तहसील सिधौली जिला सीतापुर पर यदि वे कब्जे में हैं, तो अन्दर 20 दिन डिकीदार को कब्जा प्रदान करें अन्यथा उनके विरूद्ध अर्न्तगत आदेश 21 नियम 32 (1) सिविल प्रक्रिया संहिता दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अमीन महोदय को निर्देशित किया जाता है कि वह डिकीदार को मूल दीवानी वाद सं0 74/1994 में पारित आदेश दिनांकित 16.11.1995 के आधार पर भूमि गाटा सं0 635, 636, 669 स्थित ग्राम नीलगांव परगना मनवां तहसील सिधौली जिला सीतापुर पर कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करें एवं अपनी आख्या दि० 07.11.2015 तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। अमीन महोदय को*

*नियमानुसार परवाना जारी हो। डिकीदार अविलम्ब पैरवी करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही नियत तिथि को पेश हो।"* इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 15.10.2015 के विरूद्ध निर्णीत ऋणीगण द्वारा माननीय अपर जिला जज कोर्ट सं०–7, सीतापुर में सिविल निगरानी सं०–57/2015, उनवान रानी सुनीता शाह आदि बनाम श्रीमती आशा महेश्वरी आदि प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 31.05.2016 द्वारा सिविल निगरानी सं०–57/2015 उनवान रानी सुनीता शाह आदि बनाम श्रीमती आशा महेश्वरी आदि स्वीकार की गई थी तथा इस न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.10.2015 निरस्त किया गया था। माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई थी, कि अवर न्यायालय निगरानी निर्णय में वर्णित बिन्दुओं के प्रकाश में पुनः इजराय का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करें।

**माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.05.2016 का ससम्मान अवलोकन किया गया तथा डिक्रीदार अधिवक्ता को सुना गया।** प्रश्नगत डिक्री के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा डिक्री के माध्यम से प्रतिवादीगण को विवादित नम्बरान में वादी/डिकीदार के स्वामित्व व शांतिपूर्ण अध्यासन में हस्तक्षेए करने से निषेधित किया था। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादिनी की ओर से सर्वप्रथम वर्ष 1998 में अपने हक में पारित प्रश्नगत डिकी के निष्पादन हेतु इस न्यायालय में एक इजराय नम्बर 1 सन् 1998 आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह दिनांक 08.09.1998 को इस आशय की प्रस्तुत की थी कि प्रतिवादीगण विवादित नम्बरान पर अवरोध उत्पन्न कर रहे है। अतः उक्त गाटा संख्याओं की निशादेही करके उसे कब्जा दिलाया जाये। डिकीदार की ओर से प्रस्तुत उक्त इजराय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2000 को अदम पैरवी में निरस्त कर दी गयी। तदुपरान्त डिकीदार की ओर से दूसरी इजराय नम्बर 1 सन् 2011 आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 22.02.2012 को अदम पैरवी में निरस्त हुयी। तदुपरान्त डिकीदार की ओर से तीसरी इजराय नम्बरी 3 सन् 2012 आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह दिनांक 25.07. 2012 को प्रस्तुत की गयी। उक्त इजराय में भी डिकीदार द्वारा गाटा संख्याओं की निशादेही करके कब्जा दिलाये जाने की याचना की गयी। जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2012 को निरस्त कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध डिकीदारान की तरफ से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में निगरानी संख्या 112/2012 आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह आदि प्रस्तुत की गई, जिसे जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 14.11.2013 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर डिकीदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष

याचिका नम्बर 8353/2013 आशा महेश्वरी बनाम जिला जज सीतापुर आदि प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिकीदार के इजराय को तकनीकि आधार पर खारिज किया जाना अवधारित करते हुये उन्हें पुनः सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुये पुनः इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में डिकीदार द्वारा इजराय 1 सन् 2014 श्रीमती आशा महेश्वरी बनाम रानी सुनीता शाह प्रस्तुत की। प्रश्नगत इजराय प्रस्तुत किये जाने के पूर्व डिकीदार की ओर से जो इजराय प्रस्तुत की गयी थी उनमें उनके द्वारा विवादित नम्बरान का कब्जा माँगा है अर्थात प्रथम इजराय नम्बर 1 सन् 1998 प्रस्तुत करने की दिनांक 08.09.1998 को डिक्रीदार को यह तथ्य स्वीकार था कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है इसी कारण उसने कब्जा दिलाये जाने की याचना की थी। उक्त इजराय प्रस्तुत करने के उपरान्त डिकीदार द्वारा इजराय सं०– 3/2012 दिनांक 25.07.2012 को प्रथम इजराय से लगभग 15 साल बाद एवं प्रश्नगत इजराय सं०– 01 सन् 2014 दिनांक 02.01.2014 को प्रथम इजराय से लगभग 16 साल बाद इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि वाद संख्या 74 सन् 1994 में दी गयी चौहद्दी के अनुसार उनके कब्जे व उपयोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो पाये तथा मदयून या उसके किसी एजेण्ट द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा किये गये समस्त अवरोधों को हटाते हुये मौके पर डिकीदार के कब्जे को न्यायालय के आदेशानुसार सुनिश्चित कराने की कृपा करें, परन्तु डिकीदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि कब्जा दिलाये जाने की शब्दावली से अचानक अवरोध हटाये जाने व कब्जा सुनिश्चित किये जाने की शब्दावली का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया गया है। डिकीदार की ओर से इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि वास्तव में मदयून द्वारा किस दिनांक, किस माह व किस सन् में डिकीदार को विवादित सम्पत्ति से बेदखल किया गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कब्जे से विधि विरूद्ध बेदखल किये जाने के कारण समादेशात्मक व्यादेश के जरिये कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहता है तो न्यायालय को सर्वप्रथम यह निर्धारित करता होता है कि वास्तव में वह किस दिनांक किस माह व किस वर्ष में बेदखल हुआ, क्योंकि उसके बेदखल होने के साथ ही साथ मियाद अधिनियम के तहत 12 वर्ष में कब्जा वापस प्राप्त करने की समय सीमा भी प्रारम्भ हो जाती है। न्यायालय कोई भी अनुतोष विधि अनुसार प्राविधानित समय सीमा के बाहर जाकर नहीं दे सकता। डिकीदार द्वारा बेदखली की तारीख को जानबूझकर छिपाये जाने से किसी भी प्रग्यावान व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वास्तव में डिकीदार वाद प्रस्तुत करने की दिनांक व डिकी पारित किये जाने की दिनांक को कब्जे में भी थे अथवा नहीं। क्योंकि डिकीदार द्वारा कब्जे से बेदखली की कोई तारीख नहीं बतायी है ऐसी स्थिति में कब्जे का बिन्दु ऐसा बिन्दु है जिसकी सही स्थिति जानने हेतु न्यायालय अपवादित स्थिति के

तौर पर डिकी के पीछे जाकर भी कब्जे की विवेचना किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझती है। मूल वाद के दौरान डिकीदार के कब्जे की सही स्थित्ति जानने हेतु मूल वाद की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादिनी द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया है कि विवादित स्थल पर उसकी रिहाइशी कमरे बने हुये है जो सब नये बने हुये है जानवर बाँधने के लिये हाल बना है। कोठी के अन्दर जाने के लिये दो बड़े गेट भी बने है। दो गेटो पर चौकीदार भी रहता है। बिना आज्ञा के कोई भी व्यक्ति अन्दर नहीं जा सकता। निर्णीत ऋणी के लड़के अर्थात बकिया निर्णीत ऋणी भी नहीं आ सकते। वादिनी के उक्त बयान के अवलोकन से यह तथ्य विदित है कि कोठी में कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता, परन्तु डिकीदार की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य बिजली का बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन आदि का बिल, वोटर लिस्ट, गृहकर रसीद आदि प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादित नम्बरान पर वादी के मौखिक कब्जें के कथन के साथ–साथ भौतिक कब्जे अर्थात वर्ष 1972 से लगातार रिहाइश प्रमाणित होती हो। प्रश्नगत डिकी के आधार पर यह मान भी लिया जाये कि विवादित नम्बरान पर डिकीदारान का कब्जा था, परन्तु वादिनी द्वारा अपनी सम्पूर्ण इजराय में इस बात का कोई स्पष्ट कथन नहीं किया कि वास्तव में निर्णीत ऋणी उसके कब्जे में किस प्रकार से हस्तक्षेप करते है, और उनके द्वारा ऐसा क्या अवरोध कारित किया गया है जिसे हटवाकर डिकीदार कब्जें को सुनिश्चित कराना चाहता है। इसके अलावा आदेश 21 नियम 11ए सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिकीदार को केवल उसी अवस्था में कारागार निरूद्ध किया जा सकता है जब डिकीदार द्वारा निर्णीत ऋणी के कृत्यो का अर्थात उन आधारो का जिन पर गिरफ्तारी के लिये आवेदन किया गया हो के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

न्यायालय द्वारा डिक्रीदार अधिवक्ता से उक्त तथ्यों के संबंध में पूछा गया कि किस निर्णीत ऋणी द्वारा उन्हे किस दिनांक, किस माह व किस वर्ष में बेदखल किया गया तथा निर्णीत ऋणीगण में से कौन उनके कब्जे दखल में हस्तक्षेप करता है या अवरोध कारित करता है तथा उक्त हस्तक्षेप या अवरोध किस प्रकार से किया जाता है। उक्त के संबंध में डिक्रीदार अधिवक्ता न्ययाालय द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए इसके अतिरिक्त डिक्रीदार की तरफ से निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के संबंध में गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार का न तो उल्लेख किया गया है तथा न ही उक्त के संबंध में कोई शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.05.2016 के अनुपालन में डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं०–3 क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**<u>आदेश</u>**

डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं०–3 क, निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति कागज संख्या–91 ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**दिनांकः–05.08.2026**

( रोहित पुरी )
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
**J.O. Code–UP3474**

(Stenographer: Rajat)